न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
270 / 2021	21.09.2021	12.05.2025

बउनवान

1. अनिल पुत्र विरेन्द्र
2. कमला देवी पत्नी श्री विरेन्द्र
3. कुसुम पुत्री विरेन्द्र
4. महेन्द्र पुत्र श्री जीतसिंह जातियान अहीर निवासीयान सानोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. रामेश्वरदयाल पुत्र श्री भगवान
2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री भोरलाल पौत्र श्री पन्नालाल
3. मदनगोपाल
4. शंकरलाल
5. विश्वनाथ
6. प्रेमचन्द पुत्रान श्री हरद्वारी पौत्रान श्री भगवान
7. मोतीसागर पुत्र श्री मनोहरलाल पौत्र श्री भगवान जातियान महाजन निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री अखिलेश कौशिक –: वादी वकील

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि हाल आराजी जमाबन्दी सं० 2069 2072 के खाता सं0 313 में दर्ज ख० नं० 1505 / 0.19 हैक०, जिसके अब वर्तमान में नये ख० नं० 1871 रकबा 0.19 हैक०, पैमूद हुये है जो वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला खैस्थल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

2. यह है कि हाल आराजी ख० नं0 1871/0.19 हैक०, जो साबिक आराजी ख० नं0 1505/0.19 हैक० से पैमूद हुये है जो वाके ग्राम जाट बहरोड में स्थित है जो मिन वादी सं० 1 ल० 3 के पिताध्पति श्री विरेन्द्र पुत्र जीतसिंह व ताऊजी/जेठजी श्री महेन्द्र वादी सं० 4 की खरीद शुदा कब्जे काश्त की आराजी रही है। जिस पर आरम्भ से ही मिन वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। हाल राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी सं० 1 रामेश्वरदयाल पुत्र भगवान एवं प्रतिवादी सं० 2 ल० 7 के पिता के नाम का अंकन चला आ रहा है परन्तू मिन वादीगण आरम्भ से ही प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 7 की जानकारी में तथा जब प्रतिवादीगण के पिता जीन्दा थे तो उनकी जानकारी में जोतते बोते आ रहे है।

3. यह है कि अब मिन वादी सं० 1 ल० 3 के पिता/पति श्री विरेन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके स्वर्गवास हो जाने के बाद से मिन वादीगण सं० 1 ल० 3 वादी सं० 4 के साथ मिलकर सामलात में काश्त कर रहे है, मौके पर मिन वादीगण का सम्पूर्ण हिस्से पर वास्तविक कब्जा है।

4. यह है कि मिन वादीगण के कब्जे काश्त बाबत प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 7 को आरम्भ से ही जानकारी रही है, तथा इनके पिता के जीवनकाल में उनको भी बखूबी जानकारी थी जिन्होंने आज तक कभी भी मिन वादीगण का वादीगण सं० 1 ल० 3 के पिता स्व० श्री विरेन्द्र को कभी भी फसल बोने व दरो करने से नहीं रोका ना ही मना किया ना ही कोई मजाहमत की व ना ही कभी कोई दखल चाहा मिन वादीगण खुल्लम खुल्ला प्रतिवादीगण की जानकारी में रहते हुये बाकब्जा फसल बो रहे है वो दरो आदि करते चले आ रहे है। जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को सदा से चली आ रही है।

5. यह है कि मिन वादीगण जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा आराजीयात के सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज चले आ रहे है जरिये बैयनामा खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी है। राजस्व रिकोर्ड में "खातेदार" दर्ज किया जावे। मिन वादीगण सं० 1 ल० 3 के पिता/पति श्री विरेन्द्र पुत्र श्री जीतसिंह ही परिवार का कर्ता खानदान था जिनका स्वर्गवास हो गया सभी प्रकार के लेन देन खरीद फरोख्त मृतक विरेन्द्र ही करता था। वादी सं० 4

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर-राजा)

Scanned with OKEN Scanner

महेन्द्रसिंह पुत्र जीतसिंह कम पढा लिखा किसान व्यक्ति है जो घर की खेती बाडी सम्भालता है लेन देन बाबत वास्ता नहीं रखता है।

6. यह है कि मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण को आराजी मिन वादीगण के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो कतई इंकार हो गये और कहा कि हम अपने आपसे ''खातेदार'' दर्ज करवाने नहीं जायेगें जरिये कानून या अदालती कार्यवाही से आप अपने नाम दर्ज करवा सकते हो तो करवा लो हम कानूनी लफडे में नहीं पड़ेगें तथा धमकी दी कि हम राजस्व रिकोर्ड में अंकन के आधार पर आराजी को रहन बय करके खुर्द बुर्द करेंगें जिससे दावा हाजा करना लाजिम आया है।
7. यह है कि बिनायदावी बिनाय मुखास्मत करने इंकारी प्रतिवादीगण से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।
8. यह है कि भोरेलाल पुत्र पन्नालाल, हरद्वारी, मनोहरलाल पुत्रान भगवान का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादी सं० 2 ल० 7 है जिन्हे फरीक मुकदमा बनाया गया है।
9. यह है कि दावा हाजा में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर ''खातेदार'' दर्ज करने की इश्तदुआ की जा रही है, जिससे राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार को फरीक मुकदमा बनाया है जिसे कानूनी नोटिस दो माह दिया जाना आवश्यक है, परन्तू दावा अरजेन्ट नेचर का होने का होने से प्रार्थना पत्र 80 (2) सीपीसी चाहने अनुमति पेश करने दावा अलग से पेश है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः दावा हाजा पेशकर अर्ज है कि दावा निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

(अ) डिग्री इजराय बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जावे कि आराजी हाल ख० नं० 1871 रकबा 0.19 हैक०, जो साबिक ख० नं० 1505 रकबा 0.19 हैक0, से पैमूद हुये है वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के सम्पूर्ण भाग के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा जो अंकन प्रतिवादीगण सं० 1 ल० 7

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

जिनमें प्रतिवादी सं० 1 रामेश्वरदयाल का व प्रतिवादी सं० 2 ल0 7 के मृतक पिता श्री भौरेलाल श्री हरद्वारी, श्री मनोहरलाल का चला आ रहा है काटा जावे, काटा जाकर वादीगण सं० 1 ल० 3 को 1/2 भाग व वादी सं0 4 को 1/2 भाग का खातेदार दर्ज किया जावे।

(ब) खर्चा मुकदमा मिन वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(स) दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो बख्शी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, विधिवत रूप से तामिल होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 उपस्थित नही आये जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी ने अपने दावे दाईत में दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2071, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2068 किता 2, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2061–64, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2057, प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2045, प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2041, प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत 2036, प्रदर्श–10 जमाबन्दी सम्वत 2032, प्रदर्श–11 शादी कार्ड लिफाफा, प्रदर्श–12 शादी कार्ड, प्रदर्श–13 बैयनामा जिसकी छायाप्रति प्रदर्श–13 ए है जो पेश की है।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी वाके ग्राम जाट बहरोड में स्थित है। विवादित आराजी को वादी संख्या 01 लगायत 3 के पिता व वादी संख्या 04 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्रतिवादी से क्रय किया था। जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के अनुसार विवादित आराजी का प्रतिवादीगण को भुगतान किया जा चुका है। वक्त खरीद से ही वादीगण का कब्जा रहा है। प्रतिवादीगण का कब्जा नही है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को विवादित आराजी का बेचान कर दिया था तब ही प्रतिवादीगण श्रीमान न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये। बैयनामा कराऐ जाने उपरान्त वादी संख्या 01 लगायत 03 के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर–राजस्थान)

Scanned with OKEN Scanner

पिता/पति व प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा हल्का पटवारी को मुताबिक बैयनामा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत निवेदन किया गया था परन्तु हल्का पटवारी द्वारा मुताबिक बैयनामा दर्ज नही किया गया। इसलिए राजस्व रिकोर्ड में वादीगण का नाम ना होकर प्रतिवादीगण का नाम ही अमल दरामद है। जो आज दिनांक तक बदस्तुर चल रहा है। इसलिए वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर वाद के अनुतोषानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

पत्रावली, पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व बहस वादी विद्वान अधिवक्ता पर मनन करने पर वाद का विवेचन इस प्रकार है कि प्रदर्श–13 ए के अनुसार विवादित आराजी वादी संख्या 01 लगायत 03 के पिता/पति व वादी संख्या 04 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कराया गया। जिसका वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नही हुआ है। जो गलत है। विवादित आराजी को प्रदर्श–13 ए के अनुसार वादी संख्या 01 लगायत 03 के पिता/पति व वादी संख्या 04 द्वारा क्रय किये जाने की स्थिति में वादी का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

वाद वादी के उक्त विवेचन के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर आराजी ख0 नं0 1871 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में वादी संख्या 01 लगायत 03 को 1/2 भाग व वादी संख्या 04 को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार विवादित आराजी में अंकन प्रतिवादीगण का नाम को कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण को अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी।

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बुलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस.)

: संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
)/2021	21.09.2021	12.05.2025

बउनवान

1. अनिल पुत्र विरेन्द्र
2. कमला देवी पत्नी श्री विरेन्द्र
3. कुसुम पुत्री विरेन्द्र
4. महेन्द्र पुत्र श्री जीतसिंह जातियान अहीर निवासीयान सानोली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. रामेश्वरदयाल पुत्र श्री भगवान
2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री भोरलाल पौत्र श्री पन्नालाल
3. मदनगोपाल
4. शंकरलाल
5. विश्वनाथ
6. प्रेमचन्द पुत्रान श्री हरद्वारी पौत्रान श्री भगवान
7. मोतीसागर पुत्र श्री मनोहरलाल पौत्र श्री भगवान जातियान महाजन निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री अखिलेश कौशिक एडवोकट व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में** इस ाद में **आज दिनांक 23.04.2025** को **सुरेश कुमार बलाई उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के मक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **अन्तिम डिक्री किये जाने के ादेश दिये जाते है :–**

आराजी ख0 नं0 1871 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला ौरथल तिजारा राजस्थान में वादी संख्या 01 लगायत 03 को 1/2 भाग व वादी संख्या 04 ो 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार विवादित

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

राजी में अंकन प्रतिवादीगण का नाम को कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण अमल दरामद किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार कुलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner